न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 11/2023 विभागीय अपील

आदेश

दिनांक 29/07/2024

अपीलार्थीः- **श्री सुरेश चन्द्र गट्टाणी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, हाल कार्यरत तहसील कार्यालय, माण्डल, जिला भीलवाड़ा।**

प्रत्यर्थीः- **जिला कलक्टर, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)**

अपील अंतर्गत नियम -23 सीसीए रूल्स-1958 विरूद्ध जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2021 अंतर्गत नियम-16 राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 से उदयपुर संभाग का पुनर्गठन किया जाकर जिला भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में सम्मिलित किया गया है, जो दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी है। उक्त अधिसूचना की अनुपालना में न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर से जिला भीलवाड़ा क्षेत्र की स्थानांतरित हस्तगत पत्रावली इस न्यायालय में दिनांक 13.09.2023 को दर्ज की गई।

उक्त प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि श्री सुरेश चन्द्र गट्टाणी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, हाल कार्यरत तहसील कार्यालय, माण्डल, जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 अंतर्गत विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ की जाकर ज्ञापन दिया जाकर निम्न आरोप आरोपित किये गये (अपीलीय निर्णय अनुसार):-

<u>आरोप-1</u> यह है कि आप द्वारा उपखण्ड कार्यालय, भीलवाडा में पदस्थापित अवधि के दौरान उपखण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में न्यायिक कार्य हेतु रीडर के पद का कार्य संपादित किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार न्यायालय के कार्य का अपडेशन प्रति दिन आर. सी. एम. एस. पोर्टल पर अपडेट किये जाने का प्रावधान है, किन्तु आप द्वारा माह नवम्बर, 2019 से 23 जनवरी 2020 तक आर. सी. एम. एस. पोर्टल पर कोई अपडेशन नहीं किये जाने से प्रगति शून्य रही है। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य अपने पद के प्रति गंभीर

लापरवाही एवं राज्य आदेशों की अवहेलना तथा अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है।

आरोप-2 यह है कि आपके विरूद्ध जिला रेवेन्यू बार ऐसोशिएशन, भीलवाडा भी आपके कर्तव्य के प्रति असंतोष प्रकट करते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट न्यायालय में अधिवक्ताओं के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाना, जनहित के मामलों में भी पीठासीन अधिकारी को गुमराह कर अवांछनीय आदेश पारित कराये जाना तथा न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में पक्षकारान को गुमराह किया गया है। राजकीय सेवक होने के नाते आपका उक्त कृत्य दुर्भावना पूर्ण होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

अपीलार्थी ने आरोप संख्या 1 का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार न्यायालय की पत्रावलियों का अपडेशन प्रतिदिन आर. सी. एम. एस. पोर्टल पर अपडेशन किये जाने हेतु सूचना सहायक की नियुक्ति की गयी थी। जिसकी पालना में इसी कार्य को करने के लिये आर. सी. एम. एस. पोर्टल पर अपडेशन किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा द्वारा माह जनवरी 2019, मई 2019 एवं नवम्बर, 2019 में अपचारी कर्मचारी के साथ सूचना सहायक को लगाया गया था। जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश क्रमांक/एफ. 1-द-25(4) (11) स्थापना/2019/17500 दिनांक 17.12.2019 के द्वारा श्री दिनेश कुमार विश्नोई, सूचना सहायक को आर. सी. एम. एस. पोर्टल पर न्यायालय हाजा की पत्रावलियों को अपलोड करने हेतु लगाया गया था, किन्तु उक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 23.01.2020 तक भी अपनी उपस्थिति उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के यहा नहीं दी गई। इससे स्पष्ट है कि लगाये गये सूचना सहायक द्वारा रीडर यानि अपचारी कर्मचारी को सहयोग नहीं किया, जिससे उक्त पत्रावलियां आर. सी. एम. एस. पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सकी। इसके लिये अपचारी कर्माचारी पर लगाये गये आरोप की ताईद नहीं होने से आरोप निराधार एवं खारिज होने योग्य है।

अपीलार्थी ने आरोप संख्या 2 का जवाब बिन्दुवार प्रस्तुत करते हुए आरोप को निराधार एवं खारिज होने योग्य बताया गया।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने पत्रावली पर आरोपित कर्मचारी (अपीलार्थी) के कथन, उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन व विचार पश्चात् आदेश दिनांक 03.11.2021 से अपीलार्थी को एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा-23 राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से संबंधित अभिलेख मय टिप्पणी प्राप्त किया गया। अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया दिनांक 22.07.2024 को अपीलार्थी स्वंय उपस्थित हुआ जिस पर अपीलार्थी के पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कर निवेदन किया कि अपचारी के विरूद्ध एक शिकायत दिनांक 13.01.2020 को राजस्व बार एसोशिएशन, भीलवाडा द्वारा की गई, जिसमें अपचारी कर्मचारी को रीडर के पद से हटाया जाकर विभागीय कार्यवाही किये जाने की मांग की जाकर 3 दिन में टिप्पणी चाही गई। उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की टिप्पणी उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा द्वारा नहीं की जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को पेंडिग रखा गया। अचानक उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्य को लेकर उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही प्रारंभ की जाकर निलम्बन की कार्यवाही की गई। निलम्बन की कार्यवाही की जाने के बाद शिकायत प्रार्थना पत्र पर कारण बताओं नोटिस अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध जारी किया गया। उसी प्रार्थना पत्र जवाब को आधार नहीं मानकर आर. सी. एम. एस. पोर्टल पर कार्य नहीं करने का आरोप भी अपचारी कर्मचारी पर लगाया गया। जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा निर्णय दिनांक 03.11.2021 से अपचारी कर्मचारी पर लगाये गये आरोपों के तहत जिस दण्ड से दण्डित किया गया है वह विधि के विरूद्ध एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया आदेश है, क्योंकि आरापों के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में उक्त दोनों आरोप अपचारी कर्मचारी पर सिद्ध नही होने का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। रीडर के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में माह जनवरी 2019 से अक्टूबर 2019 तक बराबर सूचना सहायकों द्वारा ही उक्त कार्य किया जाता रहा है, किन्तु माह नवम्बर में इस कार्य को करने बाबत कनिष्ठ सहायक को लगाया गया था। उक्त कनिष्ठ सहायक द्वारा कार्य संपादित नहीं किया गया। जिससे उक्त कार्य समय पर संपादित नही हो सका। क्योंकि माह नवम्बर 2019 से जनवरी 2019 तक आर. सी. एम. एस. पोर्टल पर कार्य करने वाला कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं था। अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने कार्य के साथ पर्यवेक्षण एवं निर्देशन के तहत माह दिसम्बर 2019 में उपखण्ड अधिकारी को मौखिक निवेदन किया गया कि माह नवम्बर 2019 में आर. सी. एम. एस. पोर्टल पर आपके आदेश के तहत लगाये गये कर्मचारी द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने उक्त कार्य करने के लिये जिला कलक्टर को स्थायी सूचना सहायक की ड्यूटी लगाये जाने बाबत पत्र लिखा गया, जिसकी पालना में जिला कलक्टर द्वारा दिनेश कुमार विश्नोई, सूचना सहायक को लगाया गया, परंतु उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के यहां ड्यूटी जोईन नहीं की। इस हेतु पुनः

जिला कलक्टर को निवेदन किया गया। इसके बावजूद भी उक्त सूचना सहायक द्वारा ड्यूटी उपखण्ड अधिकारी के यहां नही दी। इससे स्पष्ट साबित होता है कि आर. सी. एम. एस. पोर्टल पर न्यायालय की पत्रावलियों के संबंधित अपडेशन का कार्य सूचना सहायक द्वारा की किया जाता रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर दण्डाज्ञा खारिज करने बाबत निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 03.11.2021 को विधि सम्मत होने का अंकन किया और अपीलार्थी के प्रस्तुत कथनों को अस्वीकार कर अपील निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी की अपील, अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों, प्राप्त प्रत्युत्तर, अपीलार्थी के कथनों तथा पत्रावली का अध्ययन मनन किया गया। अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत अरोप पत्र जारी किये गये है जिस पर अपीलार्थी से जवाब प्राप्त किया गया। अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोपित शास्ति निरस्त करने के कारणों की ओर निम्नहस्ताक्षरकर्ता का ध्यान आकृष्ट किया गया, जिस पर मनन किया गया।

प्रकरण में अभिलेख देखने से यह प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के आदेश क्रमांक/स्थापना/2019/284-91 दिनांक 15.01.2019 से कार्यालय के कार्य को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु कार्मिकों के मध्य कार्य का विभाजन किया जाकर अपीलार्थी श्री सुरेश चन्द्र गट्टाणी को राजस्व कोर्ट, रीडर कार्य, मासिक सारांश, विधान सभा/लोक सभा प्रश्न, 435 की रिपोर्ट एवं अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित कार्य आवंटित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.05.2019 से जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश क्रमांक 6675 दिनांक 12.04.2019 की पालना में आर. सी. एम. एस. पोर्टल पर राजस्व प्रकरणों को नियमित रूप से अपडेट (नये प्रकरणों का पोर्टल पर इन्द्राज, प्रकरणों की तारीख पेशी अपडेट करना तथा निस्तारित प्रकरणों निस्तारण पोर्टल पर दर्ज करना आदि) किये जाना तथा दैनिक वाद सूची जनरेट किये जाने के कार्य हेतु श्रीमती निरमा पालीवाल सूचना सहायक की अग्रिम आदेश तक न्यायालय अनुभाग में रीडर श्री सुरेश चन्द्र गट्टाणी के निर्देशन में ड्यूटी लगाई गई थी। उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.11.2019 से श्रीमती प्रिती बघेरवाल को भी उक्त कार्य हेतु श्री गट्टाणी के निर्देशन में ड्यूटी लगाई गई थी। इसी प्रकार जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश 17511 दिनांक

17.12.2019 से श्री दिनेश कुमार विश्नोई, सूचना सहायक को उपखण्ड कार्यालय भीलवाडा में आर. सी. एम. एस. पोर्टल पर पत्रावलियां दर्ज करने हेतु ड्यूटी लगाई गई थी। उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा द्वारा पत्र दिनांक 09.01.2020 से श्री दिनेश कुमार विश्नोई द्वारा उपखण्ड कार्यालय में उपस्थिति नहीं देने बाबत जिला कलक्टर, भीलवाडा को भी लिखा गया था। जिस पर जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, भीलवाडा को श्री विश्नोई को कार्यमुक्त कर उपखण्ड कार्यालय में अपनी उपस्थिति देने बाबत निर्देशित किया गया था। इससे स्पष्ट है कि आर. सी. एम. एस. पोर्टल पर राजस्व प्रकरणों को नियमित रूप से अपडेट (नये प्रकरणों का पोर्टल पर इन्द्राज, प्रकरणों की तारीख पेशी अपडेट करना तथा निस्तारित प्रकरणों निस्तारण पोर्टल पर दर्ज करना आदि) किये जाना तथा दैनिक वाद सूची जनरेट किये जाने के कार्य हेतु सूचना सहायकों की नियुक्तियां की जाने के उपरांत भी उनके द्वारा कार्य संपादित नहीं किया गया था।

अधिवक्तागण जिला एवं सेशन भीलवाडा तथा रेवेन्यू कोर्ट भीलवाडा द्वारा श्री गट्टाणी के समर्थन में एक प्रमाण पत्र जारी किया जाकर अंकित किया गया है कि श्री गट्टाणी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, रीडर उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिनका अधिवक्ताओं व आमजन के साथ व्यवहार व कार्यशैली अच्छी होकर संतोषजनक है। इसके अतिरिक्त जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा श्री सुरेश चन्द्र गट्टानी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, उपखण्ड कार्यालय, भीलवाडा की प्रस्तावित विभागीय जांच के संबंध में आरोप संख्या 1 व 2 पूर्णतया सिद्ध नहीं होने बाबत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, भीलवाडा एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा द्वारा विभिन्न आदेशों से उपखण्ड कार्यालय में आर. सी. एम. एस. पोर्टल पर राजस्व प्रकरणों को नियमित रूप से अपडेट (नये प्रकरणों का पोर्टल पर इन्द्राज, प्रकरणों की तारीख पेशी अपडेट करना तथा निस्तारित प्रकरणों निस्तारण पोर्टल पर दर्ज करना आदि) किये जाना तथा दैनिक वाद सूची जनरेट किये जाने के कार्य हेतु सूचना सहायकों की नियुक्तियां की जाने के उपरांत भी उनके द्वारा उक्त कार्य को संपादित नहीं किया गया था, इस हेतु अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है तथा अधिवक्तागण जिला एवं सेशन भीलवाडा तथा रेवेन्यू कोर्ट भीलवाडा द्वारा श्री गट्टाणी के समर्थन में एक प्रमाण पत्र जारी किया जाकर अंकित किया गया है कि श्री गट्टाणी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, रीडर उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिनका अधिवक्ताओं व आमजन के साथ व्यवहार व कार्यशैली अच्छी होकर संतोषजनक है। एवं जांच अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा भी अपने जांच प्रतिवेदन में उक्त वर्णित दोनो आरोपों को पूर्णतया सिद्ध नहीं होना अंकित किया है। इसके अलावा पत्रावली में ऐसा ओर कोई साक्ष्य/तथ्य रेकार्ड पर उपलब्ध नही है, जिससे आरोपी कार्मिक पर आरोपित किये गये आरोप प्रमाणित/सिद्ध पाये जाते हैं। प्रथमदृष्टया उक्त अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय तथा विधि के विपरीत होना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2021 अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। आदेश की प्रति जिला कलक्टर, भीलवाड़ा एवं अपीलार्थी को प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर